उत्तरांचल जल विद्युत निगम लिमिटेड
"उज्जवल", महारानी बाग,
जनरल महादेव सिंह रोड़, देहरादून ।

संख्या 7271/उजविनिलि/एचआर/जी-25(स0अ0)　　　　　　　　　　　　दिनांकः 20 सितम्बर, 2005

विषयः उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 में सहायक अभियन्ता(प्रशिक्षु) विद्युत की नियुक्ति ।

स्पीडपोस्ट/
पंजीकृत

श्री अरविन्द प्रसाद गौड(ओ0बी0सी0),
पुत्र श्री एस0आर0गौड,
वार्ड नं0-2, बी0एन0-133,
टाऊन एरिया, बड़कोट,
उत्तरकाशी-249 141

महोदय,

आपके इंजीनियरिंग कालेज/ संस्थान द्वारा आपकी शैक्षिक/ तकनीकी योग्यता के सम्बन्ध में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर रू0 8550-13500 के वेतनमान में रूपये 9375/- के प्रारम्भिक वेतन पर सहायक अभियन्ता(प्रशिक्षु) की नियुक्ति हेतु आपका चयन संलग्न सेवाशर्तों के अधीन किया गया है :-

1- आपका चयन आपकी अन्तिम वर्ष/सैमेस्टर में स्नातक उपाधि की पूर्ण परीक्षा न्यूनतम् 65 प्रतिशत औसत अंको से उतीर्ण करने पर ही प्रभावी होगी।

2- आपका सहायक अभियन्ता(प्रशिक्षु) के रूप में प्रशिक्षण, सम्बन्धित "नियन्त्रक अधिकारी तैनाती स्थल" उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा ।

3- प्रशिक्षण में आप सम्बन्धित नियन्त्रक तैनाती अधिकारी के नियन्त्रणाधीन रहेंगे एवं आपके अग्रेत्तर प्रशिक्षण के सम्बन्ध में निर्देश समय-समय पर महाप्रबन्धक (कार्मिक एवं औ0स0) उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 देहरादून द्वारा जारी किये जायेंगे।

4- कार्य ग्रहण करने के समय आपको निम्नलिखित प्रमाण-पत्र, घोषणा-पत्र एवं बन्ध-पत्र (यथावत् निष्पादित)प्रस्तुत करने हैं ।

(i) <u>प्रमाण-पत्र</u>

(क) अन्तिम कालेज/संस्थान अथवा विश्वविद्यालय, जहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की हो के प्रधान अधिकारी अथवा अधिष्ठाता से प्राप्त अच्छे चाल-चलन एवं चरित्र का प्रमाण-पत्र ।

(ख) दो उत्तरदायी राजपत्रित अधिकारी, जो आपके सम्बन्धी न हों, से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो आपसे भली भाँति परिचित हों परन्तु आपके विश्वविद्यालय, कालेज अथवा स्कूल से भी सम्बन्धित न हों ।

(ग) आपकी शैक्षिक योग्यताओं के सत्यापन हेतु प्रमाण पत्रों की मूल एवं प्रमाणित प्रतिलिपियों का प्रस्तुतिकरण।

(घ) वर्तमान सेवायोजन से प्राप्त कार्यमुक्त पत्र यदि आप शासकीय/अर्धशासकीय विभाग/सार्वजनिक उपक्रम अथवा निजी संस्थान में कार्यरत है अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कार्यमुक्ति पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को किसी भी दशा में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

(च) अपने जनपद के सम्बन्धित मण्डलीय चिकित्सा परिषद अथवा सम्बन्धित राज्य के राज्य चिकित्सा परिषद से प्राप्त स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण–पत्र ।

(छ) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट 'ज')पर प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र ।

(ज) अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछडी जाति के अभ्यर्थी उत्तरांचल राज्य का मूल/स्थायी निवास प्रमाण पत्र ।

(झ) आपके द्वारा एक शपथ पत्र कि आपने जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये हैं वह सब मूलरूप में सही हैं।

(II) घोषणा–पत्र

(अ) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने के संबन्ध में ।

(ब) निगम में कार्यरत किसी व्यक्ति का आपके सम्बन्धी होने के संबन्ध में ।

(स) आपके ऋणमुक्त होने के संबन्ध में ।

(द) समस्त चल/अचल सम्पति, आप द्वारा अथवा आप पर निर्भर आपके परिवार के सदस्य द्वारा स्वामित्व अथवा अधिग्रहित गृह सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुए । इस प्रकार की सम्पत्ति का पूर्ण एवं सही विवरण परिशिष्ट "क" में निर्धारित प्रपत्र पर दिया जाय ।

(य)निगम के प्रति निष्ठा एवं विश्वसनीय सेवा से सम्बन्धी वचन पत्र परिशिष्ट "ख" में निर्धारित प्रपत्र पर ।

(र) राजनैतिक दलों से सम्बद्वता/सम्बन्धता सम्बन्धी घोषणा पत्र परिशिष्ट"ग"में निर्धारित प्रपत्र पर ।

(ल) शासकीय/अर्धशासकीय संस्थान अथवा उपकम में सेवारत न होने के संबन्ध में घोषणा पत्र परिशिष्ट"घ" में निर्धारित प्रपत्र पर ।

(व) चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र (चार प्रतियों मे) परिशिष्ट"छ" मे निर्धारित प्रपत्र पर।

(श) शपथ–पत्र –परिशिष्ट 'झ'

(ष) नियुक्ति हेतु निगम की सेवा शर्तें, वर्तमान में और 14 जनवरी, 2000 के पश्चात नियुक्त कार्मिकों हेतु लागू एवं समय–समय पर उसमें होने वाले परिवर्तनों को मान्य एवं स्वीकार करने सम्बन्धी घोषणा पत्र परिशिष्ट 'प' ।

(III) बन्ध पत्र

बन्ध पत्र का निष्पादन किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सम्मुख किया जाना चाहिए। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अनुपलब्धता पर नोटरी के सम्मुख भी बन्ध पत्र निष्पादित कराया जा सकता है। सेवा अनुबन्ध पत्र आपके द्वारा एव नियुक्ति पत्र के साथ सलग्न सेवा शर्तों के मद संख्या–5 में वर्णित व्यक्ति(प्रतिभू)द्वारा संयुक्तरूप से प्रत्येक पन्ने पर किये गये हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट/नोटरी द्वारा मोहर सहित सत्यापित किये जाने चाहिए । निष्पादित सेवा अनुबन्ध पत्र के अभाव में आपको कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी । संलग्न सेवा शर्तों की मद संख्या–5 के अनुसार हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न न होने की दशा में बन्ध पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा । बन्ध पत्र के निष्पादन हेतु निर्धारित प्रपत्र निर्देशों सहित परिशिष्ट "च" के रूप में संलग्न हैं ।

5– यदि नियुक्ति संबन्धी संलग्न सेवा शर्त आपको स्वीकार हैं तो आप दिनॉक 04–10–2005 को उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्रों, घोषणा पत्रों एवं अन्य बन्ध पत्र इत्यादि सहित महाप्रबन्धक(कार्मिक एवं औ0स0),उत्तरांचल जल विद्युत निगम लिमिटेड, यमुना भवन, यमुना

कालोनी, देहरादून के कार्यालय मे तैनाती हेतु उपस्थित हों। वॉछित प्रारूप पत्रों, घोषणा पत्रों एवं बन्ध पत्रों में से किसी के भी न होने अथवा अपूर्ण होने पर आपके तैनाती आदेश निर्गत नही किये जायेगें ।

6- यदि आप उपरोक्त तिथि पर वॉछित अभिलेखों के साथ कार्यग्रहण करने हेतु उपस्थित नही होते हैं तो आप की नियुक्ति हेतु यह प्रस्ताव स्वतः निरस्त हो जायेगा ।

7- सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में आपकी नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है एव किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना व बिना कारण प्रदर्शित किये समाप्त की जा सकती है।

8- आप पर सहायक अभियन्ताओं के लिए नई सेवा विनियमावली जो कि निगम द्वारा बनाई जा रही है लागू होगी। प्रारम्भ में निगम के वह सब सेवा नियम जो तत्कालीन उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद में 14 जनवरी 2000 के पश्चात कार्यभार ग्रहण किया है, के लिये लागू हैं, वह भी आप पर भी लागू होंगे एवं नयी सेवा विनियमावली बनने के पश्चात आप नई नियमावली से नियन्त्रित होंगे।

9- आपका परीवीक्षा काल (Probationary Period) सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर एवं आपका प्रशिक्षण निगम द्वारा लिखित पत्र की प्राप्ति की पुष्टि के उपरान्त पूर्ण होगा। जब तक की निगम के लिखित पत्र की प्राप्ति की पुष्टि नहीं हो जाती है या आपकी इस अवधि मे अस्थायी नियुक्ति लिखित रूप में रद्द नही कर दी जाती है, तब तक आपके परीवीक्षा काल की निरन्तरता बनी रहेगी। परीवीक्षा काल(Probationary Period) की अवधि में आपका कार्य परफोरमेन्स रिपोर्टो मे असन्तोषजनक पाये जाने की स्थिति मे परीवीक्षा काल की अवधि विस्तारित की जा सकती है। यदि आपकी परीवीक्षा अधिकतम् 02 वर्ष में पूर्ण (Completion) नही होता है तो आपकी यह नियुक्ति स्वतः ही रद्द हो जायेगी।

10- यह नियुक्ति अस्थाई है और अनु0जाति/अनु0ज0जा0/पिछडावर्ग प्रमाण पत्र के उचित माध्यम से सत्यापन किये जाने के शर्त पर की जाती है। यदि सत्यापन किये जाने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग का दावा एवं अन्य कोई प्रमाण पत्र झूठा पाया जाता है तो आपकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और झूठे प्रमाण–पत्र दिये जाने के संबन्ध मे भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत आगे की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी ।

11- अग्रिम सूचना या नियमितीकरण हेतु पत्र (Confirmation Letter) मिलने तक आपके नियन्त्रक अधिकारी उपमहाप्रबन्धक(एच0आर0एम0–पी0) होंगे।

12- **इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सूचना हेतु दूरभाष संख्या 0135–2530909 पर सम्पर्क कर सकते है।**

संलग्नकः– यथोपरि (22 पृष्ठ)

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 26/12/05

(रंजीत लाल)

अधिशासी निदेशक(एचआर)

प्रतिलिपि :

डीन, कालेज ऑफ टैक्नोलाजी, जी0बी0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्त नगर, ऊधम सिंह नगर को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी सम्बन्धित छात्र को सूचित करने का कष्ट करें ।